सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 208 राँची ,गुरुवार 19 चैत्र 1937 (श०)

9 अप्रैल, 2015 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

7 अप्रैल, 2015

विषय: झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के लिये आवश्यकता आधारित विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान के प्रभावी तिथि में संशोधन के संबंध में ।

संख्या 6/एस-4 (वे०पु०)-02/2012/1008/वि०-- पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने हेतु न्यायमूर्ति एस॰ सरवर अली की अध्यक्षता में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 दिनांक 08 फरवरी, 1999 द्वारा प्रवर कोटि पदों को समाप्त कर दिया गया तथा आवश्यकता आधारित प्रोन्नति के विभिन्न पदों को चिह्नित करने के उपरांत चिह्नित पदों की सीमा के अंतर्गत वरीयतानुसार प्रोन्नति के पदों का वेतनमान देने की अनुशंसा की गयी ।

2. बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 966 (3), दिनांक 19 जुलाई, 2004 द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/(वि॰) दिनांक 08 फरवरी, 1999 के आलोक में प्रवर कोटि के पदों को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर आवश्यकता आधारित पदों को चिह्नित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया एवं इस क्रम में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 5989 दिनांक 16 अगस्त, 2004 के द्वारा आवश्यकता आधारित पदों के लिए उच्चत्तर वेतनमानों की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

3. बिहार सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5989/वि॰(2) दिनांक 16 अगस्त, 2004 की कंडिका-4 यथा ''पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 दिनांक 08 फरवरी, 1999 के आलोक में दिनांक 01 जनवरी, 1996 के प्रभाव से किया जायेगा, किन्तु आर्थिक लाभ का भुगतान संकल्प निर्गत की तिथि से किया जायेगा'' एवं कंडिका-5 यथा ''उपर्युक्त पदों पर पूर्व से पदस्थापित चिकित्सकों को स्वीकृत वेतनमान स्वतः प्राप्त नहीं होगा बल्कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित प्रोन्नति के पदों को चिह्नित करने संबंधी आदेश निर्गत होने के उपरांत वरीयता क्रम में उच्चतर वेतनमान अनुमान्य करने संबंधी अधिसूचना निर्गत होने तथा तद्नुसार उच्चतर पदों पर पदस्थापन के पश्चात् देय होगा'', में संशोधन करते हुए गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 दिनांक 08 फरवरी, 1999 में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 1996 से देने एवं वास्तविक लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 1997 से दिये जाने की स्वीकृति, संकल्प संख्या 164(3) दिनांक 24 मार्च, 2006 द्वारा प्रदान की गयी ।

4. फिटमेंट कमिटी पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा को दृष्टिपथ में रखते हुए झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के विभिन्न कोटि के लिये भी विहित प्रक्रिया द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या 498(4) दिनांक 29 जुलाई, 2006 के द्वारा आवश्यकता आधारित विभिन्न कोटि के पदों का चिह्नितिकरण दिनांक 01 जनवरी, 1996 के प्रभाव से किया गया ।

5. झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या 498 (4) दिनांक 29 जुलाई, 2006 के आलोक में राज्य स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिह्नित पदों के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2049/वि॰ दिनांक 23 सितम्बर, 2011 द्वारा उच्चत्तर वेतनमान की स्वीकृति दी गयी जिसकी कंडिका-6 में यह शर्त्त अंकित था कि ''स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित पदों पर प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत होने तथा तद्नुसार उच्चत्तर पदों पर पदभार ग्रहण की तिथि से वेतनमान देय होगा''।

6. चूँकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या 498 (4) दिनांक 29 जुलाई, 2006 द्वारा बिहार राज्य की भांति झारखण्ड राज्य में राज्य स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के विभिन्न कोटि में आवश्यकता आधारित पदों का चिह्नितिकरण किया जा चुका है। परन्तु उक्त आवश्यकता आधारित चिह्नित पदों का वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2049/वि॰ दिनांक 23 सितम्बर, 2011 द्वारा उच्चत्तर वेतनमान स्वीकृत करते हुए शत्र्त अंकित कर दिया गया है कि ''स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित पदों पर प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत होने तथा तद्नुसार उच्चत्तर पदों पर पदभार ग्रहण की तिथि से वेतनमान देय होगा''। फलस्वरूप एकीकृत बिहार राज्य द्वारा आवश्यकता आधारित चिह्नित पदों के विरूद्ध झारखण्ड राज्य में पदस्थापित स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों के स्वीकृत वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 15 नवम्बर, 2000 से अवरूद्ध है ।

7. अतः राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2049/वि॰ दिनांक 23 सितम्बर, 2011 की कंडिका-6 में संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्य में पदस्थापित गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को भी वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 660 दिनांक 08 फरवरी, 1999 में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 1996 से देने का निर्णय लिया है, जिसका वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के प्रभाव से देय होगा ।

8. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2049/वि॰ दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

9. इस पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राजबाला वर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 208—50 ।